कार्यालय,जिला परिषद,बक्सर

अति अल्पकालीन निविदा

अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–17(गो0,) दिनांक–06.05.2021 के द्वारा 15वीं वित्त आयोग की Untied अनुदान मद की राशि से कोविड–19 के आपदा प्रबंधन हेतु जिला, अनुमंडल, एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर/कन्सेन्ट्रटर उपलब्ध कराये जाने का निदेश है। प्रतिष्ठित, निबंधित एवं इच्छुक प्रतिष्ठानों से निम्न Specification के ऑक्सीजन सिलेंडर/कन्सेन्ट्रटर कय करने हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क0सं0	कय किये जाने वाली सामाग्री का नाम	Specification	कुल इकाई
01	ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रटर	5L&10L Oxygen Concentrator	60

इसके लिए सीलबंद लिफाफे में कार्यालय अवधि में दिनांक–24.05.2021 को अपराह्न 03:00 बजे तक निबंधित डाक/हाथों–हाथ कार्यालय जिला परिषद, बक्सर में निविदा समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त प्राप्त निविदा दिनांक 25.05.2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में अद्योहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में गठित जिला परिषद,बक्सर के कय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर हीं वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

i. निविदादाता द्वारा अग्रधन के रूप में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बक्सर के पदनाम से 20000/–(बीस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करना होगा, जो बक्सर में Payable होगा।

ii. वार्षिक Turnover Minimum Rs. 10.00 (दस लाख) तक का चार्टड एकाउन्टेंट से निर्गत स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

iii. विगत तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न (2017–18, 2018–19, एवं 2019–20) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

iv. पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित।

v. अद्यतन GST रिटर्न GSTR-3B (मार्च, 2021) की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

vi. संबंधित एजेन्सी/फर्म का काली सूची में नाम नहीं होने का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा की अन्य शर्ते :–

i. बिना कारण बताये निविदा स्थगित/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

ii. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

iii. समय–सीमा के अंदर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म/ प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुये जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

iv. संबंधित सामग्री को कार्यालय, जिला परिषद बक्सर तक पहूँचाना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

v. आपूर्ति की जाने वाली सामाग्री के विपत्र पारित करते समय स्त्रोत पर नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।

vi. कय की गई ऑक्सीजन कन्सेन्ट्रेटर की वारंटी/गारंटी अवधि में आवश्यकतानुसार निःशुल्क मरम्मति करनी होगी।

vii. जिला परिषद आवश्यकतानुसार स्वीकृत निर्धारित दर पर किसी भी प्रतिष्ठान से सामग्री कय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

viii. संबंधित फर्म को सामग्रियों के आपूर्ति की गुणवता एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात प्राप्त आवंटन के विरूद्व नियमानुकूल भुगतान किया जाएगा।

ix. वितीय निविदा निम्न प्रकार से विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

क0	सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	कंपनी/मॉडल का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि(सभी कर सहित)

13.5.21

उप विकास आयुक्त
—सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद्, बक्सर।